

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ - 4-18/2019/25-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/06/2019

- 1 आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल।
- 2 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म0प्र0, भोपाल।
- 3 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 4 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0।
- 5 समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, म0प्र0।
- 6 समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, म.प्र.।

विषय:-राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर शिक्षक संवर्ग/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-2020।

—oo—

प्रदेश में राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पूरे वर्ष निरन्तर स्थानान्तरण करने पर प्रतिबंध लागू होगा, किन्तु दिनांक 25.06.2019 से दिनांक 31.07.2019 तक की अवधि के लिये प्रतिबंध शिथिल किया जाता है। इस अवधि में प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। इस हेतु राज्य शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर वर्ष 2019-2020 हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है:-

1 शैक्षणिक अमले की स्थानान्तरण नीति:-

- (1.1) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की संख्या का निर्धारण निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं इस बावत् स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 26.03.2011 की 'अनुसूची' में उल्लेखित पद संरचना अनुसार होगा। हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के लिये पदसंरचना निर्धारित स्वीकृत पदों के अनुसार रहेगी। उक्त पदसंरचना के आधार पर जिन विद्यालयों में संख्यामान से अथवा विषयमान से निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत होंगे, ऐसे अतिशेष शिक्षकों को स्थानान्तरण नीति अनुसार अन्यत्र शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा।
- (1.2) विगत तीन शैक्षणिक सत्रों के औसत नामांकन के आधार पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में संख्यामान से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा। चिन्हांकित अतिशेष शिक्षक स्थानान्तरण नीति के अनुरूप अन्य शालाओं/विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में उपलब्ध रिक्त पदों पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- (1.3) उपर्युक्तानुसार अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ करने में कनिष्ठतम शिक्षक को सबसे पहले स्थानान्तरित किया जाएगा। कनिष्ठतम शिक्षक से आशय संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ होने से है न कि पदस्थ संस्था में व्यतीत की गई सेवा अवधि

से। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये महिला, 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले निःशक्त एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है उन्हें अतिशेष मानकर उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में अगले कम पर उपलब्ध कनिष्ठ शिक्षक का स्थानान्तरण किया जाएगा।

पदस्थापना के समय संख्यावार तथा विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखा जाकर ही पदस्थापना की जाएगी। जिन शालाओं में संख्यामान अथवा विषयमान के अनुरूप शिक्षक अतिशेष हैं, उन शालाओं में उक्त संख्यामान अथवा विषयमान से स्थानांतरण कर पदस्थापना नहीं की जाएगी।

- (1.4) आवेदक को **MPTAAS** के स्थानांतरण मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण कर स्थानांतरण नीति में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। स्थानांतरण आदेश **MPTAAS** पर अपलोड किए जाकर पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे।

(1.4.1) ऑनलाईन स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया:-

1. आवेदक को **MPTAAS** पर **TR-ID** या कोषालय से प्राप्त एम्प्लॉयी कोड के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। सही आई.डी. दर्ज करने के उपरांत रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पर **MPTAAS** द्वारा OTP भेजा जायेगा, इस OTP को दर्ज करने पर अगली स्क्रीन पर आवेदक की पूर्व से प्रविष्ट जानकारी प्रदर्शित होगी। (सभी कर्मचारियों का **MPTAAS** एवं कोषालय (IFMIS) में मोबाइल नंबर तथा ई-मेल अद्यतन होना आवश्यक है)।
2. आवेदक अपना नियुक्ति का विषय एवं स्थानांतरण के कारण का ड्राप डाउन से चयन करेगा एवं इनसे संबंधित अभिलेख अपलोड करेंगे।
3. आवेदक द्वारा जिले के अंदर स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर उनका आवेदन विभागीय जिला अधिकारी के डी.डी.ओ. लॉगिन पर प्रदर्शित होंगे।
4. आवेदक द्वारा संभाग के अंदर स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर उनका आवेदन विभागीय संभागीय उपायुक्त के डी.डी.ओ. लॉगिन पर प्रदर्शित होंगे।
5. उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा अंतःसंभाग स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर उनका आवेदन आयुक्त आदिवासी विकास के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा।
6. आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज करने के पश्चात **MPTAAS** से आवेदक उसका प्रिंट निकाल सकेगा।

(1.4.2) ऑनलाईन आवेदनों का अनुमोदन एवं आदेश जारी करने की प्रक्रिया:-

1. जिला अधिकारी के डी.डी.ओ., संभाग अधिकारी के डी.डी.ओ. तथा राज्य मुख्यालय के लॉगिन पर प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट प्रदर्शित होगी।
2. जिले के अंदर चाहे गये स्थानांतरण का अनुमोदन जिले के प्रभारी मंत्री से प्राप्त कर जिला अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किए जायेंगे।

3. संभाग के अंदर स्थानांतरण हेतु संभागीय उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों पर आयुक्त, आदिवासी विकास म0प्र0 के माध्यम से विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किये जाएंगे।
 4. अंतर्संभागीय स्थानांतरण आदेश आयुक्त, आदिवासी विकास म0प्र0 द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत जारी किये जाएंगे।
 5. सक्षम अनुमोदन पश्चात् आदेश जारीकर्ता द्वारा स्थानांतरण आदेश **MPTAAS** पर अपलोड किए जायेंगे।
- (1.5) हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में स्थानांतरण हेतु यदि एक से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा में विगत वर्ष की परीक्षा में शतप्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले प्राचार्य तथा उक्त विद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं/शिक्षकों को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त स्थिति को छोड़कर शेष अन्य सभी स्थानान्तरण हेतु प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार निर्धारित होगा :-

क्र.	शिक्षक संवर्ग के महिला/पुरुष	स्थानांतरण में प्राथमिकता क्रम का क्रमानुसार विवरण
1.	महिला वर्ग	3. स्वयं अथवा परिवार के सदस्य कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, एन्ज्योप्लास्टि अथवा लकवा ग्रसित। (परिवार से आशय पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चों से है) 4. विवाह के कारण पति के निवास अथवा कार्यस्थान पर स्थानांतरण
2.	पुरुष वर्ग	3. स्वयं अथवा परिवार के सदस्य कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, एन्ज्योप्लास्टि अथवा ग्रसित (परिवार से आशय पति, पत्नि, आश्रित बच्चों एवं आश्रित माता-पिता से है) 4. विवाह के कारण पत्नी के निवास अथवा कार्यस्थान पर स्थानांतरण
3.	महिला वर्ग	निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्ति।
4.	पुरुष वर्ग	निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्ति।
5.	महिला वर्ग	विधवा अथवा परित्यक्ता।

* महिला एवं पुरुष वर्ग में एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठता मान्य होगी।

- (1.6) गंभीर रूप से बीमार/निःशक्त कोटे के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों को यथा संभव कम नामांकन वाली संस्था में पदस्थ किया जायेगा।
- (1.7) प्रशासकीय स्थानांतरण के अंतर्गत मुख्य रूप से अतिशेष शिक्षकों का पदांकन अन्य शिक्षक विहीन तथा शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी, न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, शिकायत में दोष सिद्ध पाये जाने, परीक्षा परिणाम 10 प्रतिशत से कम रहने तथा संस्था प्रमुखों की अनुशंसा पर किए जाएंगे।

- (1.8) यदि कोई शिक्षक अन्य विभागांतर्गत संचालित शालाओं/संस्थाओं में पदस्थापना चाहता है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-14/06/03/एक दिनांक 29.02.2008 में निहित प्रावधान के तहत प्रतिनियुक्ति पर ही भेजा जा सकेगा। इस हेतु आयुक्त, आदिवासी विकास अधिकृत होंगे।
- (1.9) प्राथमिक शिक्षकों/सहायक शिक्षकों/प्र0अ0 प्राथमिक शाला/उ0श्रे0शि0/माध्यमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक/व्यायाम शिक्षक/खेलकूद शिक्षक/गायन/वादन शिक्षक, ग्रंथपाल/प्र0अ0 माध्यमिक शाला/उच्च माध्यमिक शिक्षक/व्याख्याता/प्राचार्य हाई स्कूल संवर्ग के जिले के अन्दर स्थानान्तरण सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किए जाएंगे।
- (1.10) प्राथमिक शिक्षकों/सहायक शिक्षकों/प्र0अ0 प्राथमिक शाला/उ0श्रे0शि0/माध्यमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक/व्यायाम शिक्षक/खेलकूद शिक्षक/गायन/वादन शिक्षक, ग्रंथपाल/प्र0अ0 माध्यमिक शाला/उच्च माध्यमिक शिक्षक/व्याख्याता/प्राचार्य हाई स्कूल संवर्ग के संभागान्तर्गत अर्न्तजिला स्थानान्तरण संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त आदेश जारी किए जाएंगे।
- (1.11) प्राथमिक शिक्षकों/सहायक शिक्षकों/प्र0अ0 प्राथमिक शाला/उ0श्रे0शि0/माध्यमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक/व्यायाम शिक्षक/खेलकूद शिक्षक/गायन/वादन शिक्षक, ग्रंथपाल/प्र0अ0 माध्यमिक शाला/उच्च माध्यमिक शिक्षक/व्याख्याता/प्राचार्य हाई स्कूल के अर्त्तसंभागीय स्थानान्तरण आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत किए जाएंगे।
- (1.12) प्राचार्य उ.मा.वि. संवर्ग के स्थानान्तरण राज्य शासन स्तर से जारी किए जायेंगे।

2. गैर शैक्षणिक अमले का स्थानान्तरण :-

- (2.1) विभाग के विभिन्न कार्यालयों में जहाँ स्वीकृत पदों से अधिक गैर-शैक्षणिक स्टाफ पदस्थ है, उनका प्रशासकीय स्थानान्तरण उन संस्थाओं में किया जाएगा जहाँ पर पद रिक्त है।
- (2.2) जिला कार्यालयों में पदस्थ गैर शैक्षणिक अमले का प्रशासनिक/स्वैच्छिक स्थानान्तरण वांछित स्थान पर पद रिक्त होने पर यथा स्थिति किया जाएगा।
- (2.3) समस्त गैर शैक्षणिक अमले का जिला अंतर्गत स्थानान्तरण सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा।
- (2.4) समस्त गैर शैक्षणिक अमले का संभाग अंतर्गत अर्त्तजिला स्थानान्तरण संभागीय उपायुक्त, द्वारा आयुक्त, आदिवासी विकास म0प्र0 के माध्यम से विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त आदेश जारी किए जाएंगे।

- (2.5) समस्त गैर शैक्षणिक अमले का अंतर्संभागीय स्थानान्तरण आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त किया जाएगा।
- (2.6) क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाएगा। जो अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरुपयोग/गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाएगा। ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुनः ऐसे पदों पर पदस्थ नहीं किया जाएगा।

3. प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में (प्रतिबंध अवधि सहित) अधिकतम स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जाएंगे :-

क्रमांक	पद/संवर्ग की संख्या	अधिकतम स्थानान्तरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर)
1.	200 तक	20 प्रतिशत
2.	201 से 2000 तक	10 प्रतिशत
3.	2000 से अधिक	05 प्रतिशत

- (3.1) सक्षम अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन विद्यालयों से स्थानान्तरण किये जा रहे हैं उन विद्यालयों में स्थानान्तरण के पूर्व की पदस्थापना स्थिति के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहे तथा किसी भी स्थिति में शाला शिक्षक विहीन न हो।
- (3.2) विशिष्ट विद्यालयों में जिन शिक्षकों की चयन परीक्षा द्वारा पदस्थापना की गई है, उन शिक्षकों का प्रशासकीय स्थानान्तरण विशिष्ट विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य शालाओं में नहीं किया जाएगा। इन विशिष्ट विद्यालयों में रिक्त पदों पर परीक्षा के माध्यम से पदस्थापना होने से पूर्व से चयनित शिक्षकों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
- (3.3) विशिष्ट विद्यालयों के प्राचार्यों के स्थानान्तरण केवल राज्य शासन द्वारा किये जा सकेंगे।

4. समय – सारणी

राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-2020 की समय-सारणी निम्नानुसार होगी :-

1.	आवेदक द्वारा MPTAAS के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करना।	25 जून से 10 जुलाई 2019 तक।
2.	सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाकर आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा आदेश जारी कर MPTAAS पर अपलोड करना।	11 जुलाई से 20 जुलाई 2019 तक।
3.	पदभार ग्रहण करना।	31 जुलाई 2019 तक।

5. प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानान्तरण :-

- (5.1) प्रतिबंध अवधि के दौरान मुख्य रूप से न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों में स्थानान्तरण किये जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित होगा।

- (5.2) प्रतिबंधित अवधि के दौरान उक्त कण्डिका-6.1 की स्थिति में प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानान्तरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का समन्वय में अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी किये जायेंगे। अन्य स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाएंगे।
- (5.3) प्रतिबंधित अवधि के दौरान स्थानान्तरण आवश्यक होने पर आयुक्त, आदिवासी विकास एवं शासन स्तर से ही किए जाएंगे।

6. स्थानान्तरण नीति की अन्य शर्तें :-

- (6.1) यह नीति विभाग अंतर्गत शालाओं में कार्यरत गुरुजी, संविदा शिक्षक एवं अध्यापकों हेतु लागू नहीं होगी।
- (6.2) इस स्थानान्तरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानान्तरण के प्रकरणों में समन्वय में आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (6.3) स्वयं के व्यय पर एवं आपसी स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर उसके कार्यालय प्रमुख के द्वारा सत्यापति किया जाना अनिवार्य होगा।
- (6.4) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष है तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं किया जायेगा। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया जाता है तो उनके द्वारा दिये गये विकल्प अनुसार रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
- (6.5) केन्द्रीय सेवा/राज्य सेवा एवं इनके निगम, मण्डल में पदस्थ पति-पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही स्थान पर पदस्थापना के लिये आवेदन प्राप्त होने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति/पत्नी यदि एक ही जिले/मुख्यालय पर कार्यरत हो तो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।
- (6.6) टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानान्तरण चाहने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा किन्तु स्थानान्तरण पर पदस्थापना कम नामांकन वाले विद्यालयों में की जा सकेगी।
- (6.7) शिकायती जांच के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानान्तरित किया गया हो तो उसे पुनः उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जाएगा।
- (6.8) ऐसे निःशक्त कर्मचारी, जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो को सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, किन्तु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानान्तरण का आवेदन प्रस्तुत करने पर स्थानान्तरण पर विचार किया जाएगा।
- (6.9) ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनके पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता, स्वलीन (Autism), बहुआयामी निःशक्तता अथवा अलजाईमर रोग से पीड़ित

- है, को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जाएगा, जहाँ पर निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सकें, बशर्ते कि संबंधित द्वारा ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत किये हो।
- (6.10) कमीशन प्राप्त एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. से संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिन स्थानों पर इन अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाता है उन स्थानों पर एन.सी.सी./एन.एस.एस. की संबंधित इकाई संचालित हो।
- (6.11) राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/विकासखण्ड शाखा के पदाधिकारियों यथा—अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति उपरान्त स्थानान्तरण से दो पदावधि के लिये अर्थात् 4 वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानान्तरित किया जाएगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10-6/05/1-15/क.क. दिनांक 24 अप्रैल 2006 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित जिला कलेक्टर को दी जायेगी। इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख, जहाँ वे कार्यरत हो, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानान्तरण से छूट का लाभ दिया जाएगा।
- (6.12) किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावेगी।
- (6.13) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 14195/2007 (एस) में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.11.2008 में शासन द्वारा कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जारी निर्देशों का ध्यान नहीं रखने पर टिप्पणी की है जैसे— बिना रिक्त पद के स्थानान्तरण किया जाना। पद रिक्त न होने के कारण कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, अतः आदेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायें कि जिस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण जहाँ किया जा रहा है वहाँ पद रिक्त है या नहीं।
7. स्थानान्तरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानान्तरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानान्तरण के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक होगा।
8. कार्यमुक्ति हेतु समयावधि :-
स्थानान्तरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जायेगा।
9. कार्यमुक्ति की अवधि में वृद्धि :-
यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिये कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए संक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश

जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस अनाधिक बढ़ा सकेगा। ऐसी बढ़ी अवधि तक ही स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा।

10. एकतरफा कार्यमुक्ति :-

यथा स्थिति दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जायेगा। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित होना माना जायेगा।

11. वेतन आहरण :-

स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन के लिये पूर्वोक्त कण्डिकाओं में निर्धारित अवधि के पश्चात् स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन आहरण पूर्व पदस्थापना से बंद हो जायेगा। यदि इसके विपरीत उसी संस्था से वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात् अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को प्रेषित किए जायेंगे एवं इसकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जायेगी। इसके लिये कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

12. अवकाश स्वीकृति :-

कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही नवीन संस्था के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

13. पालन न होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

स्थानान्तरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्व अनुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

14. स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।


15. जिला एवं संभाग स्तर से किये गये स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण आयुक्त, आदिवासी विकास, म0प्र द्वारा एवं आयुक्त, आदिवासी विकास स्तर से किये गए स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण शासन स्तर से किया जाएगा।

16. कर्मचारियों/अधिकारियों को दोहरा प्रभार नहीं दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था किये जाने पर औचित्य दर्शाया जाना आवश्यक होगा तथा इस हेतु पृथक से कोई भत्ता/वेतन देय नहीं होगा।

17. सामान्यतः स्थानान्तरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जायें। नियमित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए।

18. सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. समस्त सक्षम अधिकारियों के द्वारा जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश की एक प्रति आदेश जारी होने के दिनांक को ही आयुक्त, आदिवासी विकास, विभाग के विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(दिनेश श्रीवास्तव) 6/1/19
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

भोपाल दिनांक 24/06/2019

पृ० क्रमांक/एफ- 4-18/2019/25/1
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, बाणगंगा, भोपाल।
5. तकनीकी संचालक, एम.आई.सी., म0प्र0, भोपाल।
6. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।


उप सचिव 24/06/19
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल